Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.04, No.07, July,2025

बी0 एन0 एस0, 2023 की चुनौतियॉ

*डॉ0 संजीव गंगवार,
सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, फर्रूखाबाद
ज्योति, शोध छात्रा
विधि मेजर मेजर एस0डी0 सिंह विश्व विद्यालय फर्रुखाबाद

****

शोधसार: *यह शोध पत्र भारत के* ***नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता,2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023) के लिए संदर्भित है जो भारतीय न्याय व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए हैं,*** *जिसने एक बर्ष का सफर पूरा कर लिया है इन नये कानूनों को* ***भारतीय समसामयिक परिप्रेक्ष्य व भविष्योंन्मुखी रूप में तैयार किया गया,*** *जिनसे शीघ्र न्याय की अपेक्षा की गई, जिसके अर्न्तगत लोगों की समसामयिक आवश्यकताओं और आंकाक्षाओं के अनुरूप एक ऐसी कानूनी संरचना का निर्माण किया गया है,* ***जो नागरिक केंद्रित होने के साथ नागिरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें यह नए कानून पुलिस को जवाबदेह बनाते हुए पीड़ित–केंद्रित हैं।***

प्रस्तुत शोध पत्र में यह देखने का प्रयास किया गया *कि जिस नये कानून को लागू हुए एक बर्ष पूरा होने जा रहा है उसके* ***कियान्वयन में कौन सी चुनौतियॉ सामने आ रही हैं,*** *जिनको समय रहते जानना नये कानूनों के सफल कियान्वयन के लिये आवश्यक है,जिससे* ***हमारी संसद द्वारा बनाये कानून अपने नागिरिकों को शीर्घ न्याय की सुविधा प्रदान कर विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित कर सके।***

आवश्यक सूचना :– ***"कृपया अनुरोध है कि शोध,पत्र में जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में न करें"***

बीज,शब्द–आई0पी0सी0,सी0आर0पी0सी0,भारतीय न्याय संहिता,2023 बी0एन0एस0, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बी0एन0एस0एस0

****

प्रस्तावना– *सभ्य समाज के निर्माण में सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण स्थान रखता है* ***दुनिया के आज उन्ही देशों ने प्रगति हासिल की है जिन्होंने अपनी न्यायिक व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त कर अपने नागरिकों को समय से न्याय प्रदान करने में माहरता हासिल कर ली है ,इन देशों में कानून निर्माण व संशोधन की प्रकिया बहुत लोचपूर्ण देखने को मिलती है, दण्ड व्यवस्था में भी मानवीय मूल्यों का पूरा पालन किया जाता है*** *न्यायालयों का भी यह प्रयास रहता है कि देश के किसी भी नागरिक को न्याय लेने में बेवजह समय व धन की वरबादी न हो तथा लोगों का न्यायलयों के प्रति विश्वास बना रहे,* ***इसी लिये इन देशों के नागिरिकों में सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना व राष्ट्रीय प्रेम अधिक देखने को मिलता है ,तथा नागिरिक अपने देश के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, और आज इसी के बल पर इन देशों ने विकिसित देशों की श्रेणी में पहचान स्थापित की है जिसमें न्यायिक व्यवस्था का बहूत बड़ा योगदान रहा है जिसके फलस्वरूप इन देशों में वकालत का पेशा सर्व श्रेष्ठ व सम्मानित श्रेणी में माना जाता है,*** *भारत में इस पेशे को किस नजरीये से देखा जाता है और क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता लेखक को यह सब लिखने की शायद आवश्यकता नहीं है।*

किन्तु वर्तमान भारत सरकार देश में न्याय व्यवस्था के सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है जिसके क्रम में बर्षों से ***अंग्रेजों के द्वारा भारतीये नागिरिकों को दण्ड व न्याय देने वाले छलावापूर्ण कानूनी संहिता को पूर्ण रूप से हटा दिया है जिसका पूरा श्रेय बर्तमान गृह मंत्री मा0 अमित शाह जी को जाता है,*** बैसे भी भारतीय समाज बर्षों से अंग्रेजो के बनायें दण्डान्तमक कानूनी व्यवस्था से तृस्त हो इसको बदलनें की आवाज, दबी जवान से उठाता रहा है किन्तु इसको बदलने की हिमायत स्वतन्त्र भारत कि किसी सरकार ने नहीं की यही कारण है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त आये हमारे संविधान में 100 से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं ***जबकि भारतीय दण्ड संहिता में 1860 से, 163 बर्षों में आई0पी0सी0 में मात्र 75 के लगभग ही संशोधन किये गये जिसमें 1985 के उपरान्त आई0पी0सी0 मे कोई अधिकारिक संशोधन नहीं हुआ इससे पूर्व 1973 में अपराधिक प्रकिया संहिता सी0आर0सी0पी0 ,1973 लाकर जरूर कुछ वदलाव किये गये जबकि अन्य संशोधन आंशिक ही रहे***

है,आई0पी0सी0 की दण्डात्मक व भारतीये नागिरिकों को कोर्ट कचहरी में उल्झाऐं रखनें की अंग्रेजियत मंशा से निजात दिलाने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया । ***यह पहली बार है कि किसी सरकार ने अंग्रेजों द्वारा दिये कानून को उखाड़ फेकने की हिमायत कर 2023 में न्याय व्यवस्था व पुलिस तंत्र को नए कानून उपलब्ध करा भारतीय नागिरिकों को न्याय व सुरक्षा की जिम्वेदारी प्रदान की।***

इन तीन पुराने कानूनों में वदलाव लाने हेतु भारत सरकार के गृह मंत्राालय ने 2019 से ही गहन विचार–विमर्श शुरू कर किया था जिनको लेकर प्रबुद्धजीवियों व विधि,वेत्ताओं के साथ ***कर्नाटक व केरल के पूर्व मुख्य न्यायधीश वी0एस0 मलिमथ की अध्यक्षता में गठित "मलिमथ" समिति जिसका अधिकारिक नाम "अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर समिति"था, इसका गठन 24 नवंबर 2000 में किया गया,साथ ही रणबीर सिंह समिति ,राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में भी एक समिति का गठन कर अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों का सुझावों के लिये नियुक्त किया गया था*** इन सबके द्वारा गृह मंत्राालय को 3200 सुझाव प्राप्त हुए जिन पर गृह मंत्री मा0अमित शाह जी ने सभी सुझावों संशोधनों पर सूक्ष्मता से विचार करते हुए इन तीनों कानूनों पर विचार,विमर्श करने के लिये 158 बैठकें कर कानून निम्रण प्रर्कीया को पूर्ण कर ***भारत को नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता,2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023 की सौगात प्रदान की।*** जिसको 25 दिसम्वर 2023 को मा0राष्ट्रपति महोदय् के हस्ताक्षर के उपरान्त कानूनी जामा प्रदान कर पुराने कानूनों की जगह नये कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया।

विशेषताएं– सर्वप्रथम विशेषता मे ***भारतीय न्याय संहिता का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता देना है*** इसको बी0एन0एस0,2023 के नाम से जाना जाता है जिसमें 20 अध्याय व 358 धाराएं हैं जिसने भारतीय दण्ड संहिता 1860 का स्थान लिया जिसमें 511 धाराएं व 23 अध्याय थे।इसी प्रकार सी0आर0पी0सी0,1973 के स्थान पर जिसमें 484 धाराएं व 37 अध्याय थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 बी0एन0एस0एस0 ने स्थान लिया जिसमें 39 अध्याय व 531धाराऍं हैं।तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने लिया है जिसमें 170 धाराएं व 12 अध्याय हैं।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को विशेष अध्याय–5 को प्राथमिकता से समर्पित :– नवीन कानून में ***महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और उनकी सुरक्षा पर एक अध्याय–5 जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 में राज्य के खिलाफ अपराध को समर्पित था उसे महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित किया गया है*** जिसके अर्न्तगत पूर्ववर्ती ***दण्ड संहिता 1860 में विखरी धाराओं जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और उनकी सुरक्षा पर आधारित थी उन्हे एक साथ (धारा–63 से 99 तक)लाया गया है*** साथ ही 18 बर्ष से कम उम्र की ***बच्चीयों से दुष्कर्म पर आजीवन व मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान कर महिलाओं के साथ झूठे वादे कर दुष्कर्म को जंघन्य अपराध माना गया ।***

दण्ड को मानवीय बनाने के साथ–साथ पुर्नवास पर जोर :–*नये कानूनी प्रावधानों के अर्न्तगत* ***प्रतिशोधात्मक सिद्धान्तों पर पुनर्विचार कर*** *मौत,आजीवन कारावास कारावास,संपत्ति की जब्ती और जुर्माने के साथ बी0एन0एस0 की धारा,4(च) की शुरूआत एक महत्चपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जिसमें* ***सजा का छठा रूप सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया।***

अपराधीयों को कठोर सजा का प्रावधान :– दण्ड को मानवीय बनाने का तात्पर्य यह नहीं है है कि नई कानूनी व्यवस्था अपराधी को बेदाग छूट देगी *बी0एन0एस0 के तहत 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है तथा* ***23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया*** *है सामुदायिक सेवा के लिए दण्ड सिर्फ छह अपराधों में पेश किया गया है,और अनावस्यक 19 धाराओं को अधिनियम से निरस्त या हटा दिया गया ।*

आधुनिक न्याय प्रणाली व नई प्रोद्योगिकी से लैस :– *नए कानून भारत में एक* ***आधुनिक न्याय प्रणाली पर आधारित है*** *जिसमें* ***जीरो एफ0आई0आर0,****पुलिस शिकायतों का* ***ऑनलाइन पंजीकरण ,एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड*** *के माध्यम से सम्मन और* ***लोक सेवकों व पुलिस आदि साक्षियों का श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों से गवाही के बिकल्प की व्यवस्था*** *(बी0एन0एस0एस0 की धारा–254(2))साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व डिजीटल साक्ष्य को प्राथमिकता तथा* ***सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी*** *(बी0एन0एस0एस0 की धारा–176(3))जैसे प्रावधान जो अंग्रेजो के औपनिवेशिक का पूर्ण परिवर्तन व प्राचीनता का पुनरूद्धार और न्याय क्षेत्र में आधुनिकता की नई छलांग है और अब न्याय व्यवस्था केवल दण्ड पर आधारित न हो ,बल्कि न्याय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं।*

समयाविधि का प्रावधान :– *नये अधिनियम में न्याय मिलने की एक सैद्धातिक समय सीमा निर्धारित की गई जैसे कि पीड़ित को 90 दिनो के भीतर अन्वेषण की प्रगति की जानकारी देना 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र व बहस पूर्ण होने के उपरान्त 30 जिसे अधिकत्तम 45 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान किया गया है।(बी0एन0एस0एस0 की धारा–258) ऐसा प्रावधान पूर्व अधिनियम की* सी0आर0पी0सी0,1973 में भी था *किन्तु नये साक्ष्य अधिनियम से यह पूर्ण अपेक्षा है कि अधिनियम की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को समय–सीमा से न्याय मिल सकेगा।*

इसी प्रकार भारतीय नवीन कानूनी अधिनियम कई विशेषाताओं से परिपूर्ण हैं जिसे गृह मंत्री मा0अमित शाह जी *के द्वारा अनुभवी विधि वेत्ताओं द्वारा तैयार कर कानून निम्राण की संसदीये प्रणाली को अपना एक जुलाई दो हजार चौबिस को* नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता,2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023) को शीर्घ न्याय देने के उद्देश्य से समर्पित कर दिया,गया, *जिसे लागू हुए एक बर्ष पूर्ण हो चुका है ऐसे में स्वभाविक है कि एक बर्ष के दौरान वह चुनौनियां सामने आ चुकी होंगी जो इसके सफल कियान्वयन में आड़े आ रहीं हों गी जिनको जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है जो निम्नवत हैं–*

पुलिस विभाग की चुनौतियॉ– *किसी* ***कानून का पालन व समाज में लॉ एण्ड ऑडर बनाये रखने व लोगों से कानून का पालन कराये जाने की जिम्वेदारी पुलिस विभाग की ही होती है,*** *और यह सब तभी हो संभव हो सकता है कि जब हम* ***पुलिस को कानूनी रूप में प्रशिक्षित कर हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित कर तैयार करेगें, और अगर हम चहाते हैं,कि नये कानून जल्द रचनात्मक प्रभाव दिखाएं तो इसके लिये जितनी जल्दी हो पुलिस को उन समस्याओं से निजात दिलाई जाये जो नवीन कानून लागू करने में आढ़े आ रही हैं जैसे :–***

1–पूलिस के पास आवश्यक ***इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुपलब्धता।****जैसे– कैमरा टैबलेट ,बाडी कैमरा मोवाइल आदि।*

2–आधुनिक उपकरणें से ***सुसज्जित बर्दी ।***

*3–****फोरेंसिक लेवों की कमी।***

4–प्रशिक्षण का अभाव।

5–नवीन व ***पुराने अधिनियमो का दवाव।***

6–आधुनिक सरकारी उपकरणों के अभाव में निजी मोवाइलों का उपयोग।

*7–****ग्रामीण दूरस्त क्षेत्रों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अभाव।***

8–समाज में ***निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साक्ष्य*** *देने पर संकोंज करना।*

9– ***जन सामान्य*** *में नये कानून के प्रति* ***जागुरूकता अभाव।***

*10–****पुलिस के पास हाईटेक उपकरणों से सुसज्जित वहानों व पुलिस स्टेशनों का अभाव।*** *आदि ऐसी कई चुनौतियों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है*

फिर भी उपलब्ध संसाधनों पर हमारी पुलिस कार्य कर रही है और आशा है कि जल्द ही इन समस्यायों से पुलिस को निजात मिल जायेगी।

न्यायालयों की चुनौतियॉ :–बैसे तो नये कानूनों के प्रति **न्यायालयों ने अपने आप को तैयार कर शीर्घ न्याय देने के सिद्धातों के पालन** करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सम्मन और लोक सेवकों व पुलिस आदि साक्षियों का श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों से गवाही आदि **नये अधिनियमों की मंशा अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है,फिर भी कुछ चुनौतियों का सामना न्यायलयों को करना पड़ रहा है जै**से की : –

1– न्यायालयों के **साहायक कर्मचारियों में नये कानून के प्रति प्रशिक्षण का अभाव।**

2–**स्थाई तकनीकी कर्मचारीयों का अभाव।**

3– **इलेक्ट्रानिक व डिजीटल साक्ष्य सुरक्षित डाटा स्टोर** का अभाव।

4–**आई0पी0सी0,1860 व बी0एन0एस0,2023 दोनों कानूनो के प्रकरणों का एक ही कोर्ट में चलने से कार्य का दवाव।**

5–**नये कानूनों के प्रति अधिवक्ताओं को जानकारी का अभाव।** आदि चुनौतियों का सामना न्यायालयों को करना पड़ रहा है।

किशोर न्याय बोर्ड की चुनैतियॉः– 1– **स्टेनों कर्मचारी की अनुपलब्धता।**

2– **स्थाई स्टाप का** अभाव।

3– **साहायक कर्मचारियों में नये कानून के प्रति प्रशिक्षण का अभाव।**

4–स्थाई कम्प्यूटर आपरेटर की अनुपलब्धता।

5–4–**आई0पी0सी0,1860 व बी0एन0एस0,2023 दोनों कानूनो के प्रकरणों का एक ही साथ चलने से कार्य का दवाव।**

6– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) **आदर्श नियम,2016 के नियम 6 के अनुपालन में किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय व कारागार परिसर से दूरी बनाये रखने** में न्यूनतम व अधिकतम सीमा न होने से **कई जनपदों में 5से25 किलो मीटर दूरी पर संचालन** बोर्ड की एक सबसे बड़ी चुनौती है जो **नये कानूनों के शीर्घ न्याय देने के सिद्धान्त को प्रभावित कर रही है। जबकि किशोर न्याय बोर्ड का संचालन न्यायालय पर आश्रिता है न्यायालय व अधिवक्ताओं तथा अभियोजन विभाग के सहयोग के बिना बोर्ड का संचालन संभव नही हो सकता ।**

उक्त आदि चुनौतियों का सामना किशोर न्याय बोर्ड को करना पड़ रहा है जिनका प्रभाव नये कानूनों के सफल कियान्वयन पर पड़ रहा है।

निष्कर्ष एव सुझाव :–इस प्रकार नये कानूनों का **एक बर्ष का सफर इसकी कियान्यवित संस्थाओं का काफी खट्टे मीठे अनुभवों भरा रहा है, और जो चुनौतियॉ आ रही उनसे भी समय रहते निजात मिल जायेगी** आशा है कि जैसे –जैसे पुराने कानून से सम्बन्धित प्रकरणों का निपटान होता जायेगा बैसे बैसे नवीन कानून न्याय पर अपनी पकड़ बनाता जायेगा **फिर भी कुछ सुझाव नये कानूनों प्रगित में वेहतर कारगर सावित हो सकते है ।**

सुझाव : – 1– सर्वप्रथम **भविष्य को ध्यान में रखते हुए देश के सभी शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से विधि के पाठ्यक्रमों में** (एलएल0बी0, एलएल0एम0,आदि)भारतीय न्याय संहिता,2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023 **को सम्मिलित किया जाना अतिआवश्यक है।**

2– **नये कानून में** ***इलेक्ट्रानिक व डिजीटल साक्ष्य की* विशेष प्राथिमिकता को देखते हुए** ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायतों व नगर पंचायतों द्वारा तथा निजी व्यावसायिक केन्द्रों ,निजी प्रतिष्ठानों ,ढाबों के **सम्पूर्ण भारत को यूरोप सऊदी की तरज**

पर सार्वजनिक कैमरों को क्षेत्र के थानों ऑनलाइन जोड़ा जाये जिससे आवश्यकता पड़ने पर ***इलेक्ट्रानिक व डिजीटल साक्ष्य आसानी प्राप्त किया जा सके।***

*3–**पुलिस को** कानूनी रूप में प्रशिक्षित कर हाईटेक सुविधाओं से जिसमें **विदेशी मॉड्ल पर आधुनिक उपकरणों के साथ बर्दी,बाडी कैमरा व कैमरा युक्त हैलमट आदि से पुलिस को सुसज्जित किया जाये।***

*4– **अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण** प्रदान करने हेतु **बिधिक सेवा प्राधीकरण,** गैर सरकारी संस्थाओं तथा **बार एसोसिएशन तथा बिधि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को सेमिनार व गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए।***

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1–भारतीय न्याय संहिता,2023

2– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023

3– भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023)

4– भारतीय दण्ड संहिता 1860

5–सी0आर0पी0सी0,1973

6– भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023)

*Corresponding Author: Dr. Sanjeev Kumar Gangwar

E-mail: sanjeevgangwar827@gmail.com
Received: 03 June,2025; Accepted: 28 July 2025. Available online: 30 July, 2025
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License